सं0-02

प्रतिलिपि पत्र संख्या-ई-रा-5430/जी0एस0 दिनांक 5.10.2004 द्वारा महामहिम कुलाधिपति जी के विशेष सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, लखनऊ सम्बोधित कुलसचिव, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर ।

आपके पत्र संख्या सी0एस0जे0एम0वि0वि0/सम्ब0/1324/2003 दिनांक 12.9.2004 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय ने उ0प्र0राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा-37(2) के सुसंगत प्राविधानों एवं संशोधन अधिनियम 2003 की धारा-5 के परन्तुक के अधीन रूपरानी सुखनन्दन सिंह महाविद्यालय, नौबस्ता, कानपुर को स्नातक स्तर पर वाणिज्य संकाय में बी0कॉम0 पाठ्यक्रम में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 1.7.2004 से आगामी तीन वर्ष हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है:-

1. महाविद्यालय सम्बद्धता प्राप्त होने की निरीक्षण आख्या/प्रपत्र बी में इंगित समस्त कमियों को पूरा कर लेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित होगा ।
2. संस्था उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 2 जुलाई 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी । विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त महाविद्यालय द्वारा शासनादेश एवं अन्य सुसंगत नियमों का पूर्णरूपेण परिपालन किया जा रहा है ।
3. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली में वर्णित तथा शासन द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

सी0एस0जे0एम0वि0वि0/सम्ब0/ 2011 /2004 दिनांक 11-10-04

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रबन्धक, रूपरानी सुखनन्दन सिंह महाविद्यालय, नौबस्ता, कानपुर को इस आशय से प्रेषित है कि माननीय कुलाधिपति महोदय के उपरोक्त निदेश का अनुपालन करना सुनिश्चित करें । माननीय कुलपति जी ने बी0कॉम0 पाठ्यक्रम में 240 सीटें निर्धारित करने की कृपा की है ।
2. सहायक कुलसचिव(परीक्षा) सी0एस0जे0एम0विश्वविद्यालय, कानपुर
3. सहायक कुलसचिव(अतिगोपनीय) सी0एस0जे0एम0विश्वविद्यालय, कानपुर ।
4. सिस्टम मैनेजर, सी0एस0जे0एम0विश्वविद्यालय, कानपुर ।
5. इन्चार्ज, ई0डी0पी0सेन्टर, सी0एस0जे0एम0विश्वविद्यालय, कानपुर ।

(डा0वी0के0पाण्डेय)
कुलसचिव

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्
(भारत सरकार का एक विधिक संस्थान)
उत्तर क्षेत्रीय समिति

NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION
(A STATUTORY BODY OF THE GOVERNMENT OF INDIA)
NORTHERN REGIONAL COMMITTEE

Office :- A-46, Shanti Path, Tilak Nagar, Jaipur - 302004
Website : "http://www.ncte-in.org"
Ph. No. :- 0141-2623501, 2622661
2620116
E-mail : nrc@yahoo.com
Fax No. :-

F. NRC/NCTE/F-3/UP-586/2003/ ३१४६.

SPEED POST / REGISTERED
Date: 09.01.2004

ORDER

Roop Rani Sukhnandan Singh College, Naubasta, Kanpur, U.P. submitted an application to the Northern Regional Committee of National Council for Teacher Education for grant of recognition for B.Ed. course of One Year duration from the academic session 2003-2004 with an annual intake of 100 *(One Hundred)* students in terms of section 14(1) of NCTE Act, 1993.

2. On scrutiny of the application submitted by the institution, the documents attached therewith and the inputs received from the visiting team, the Committee has noted the following:

(a) The institution has the land for setting up the teacher education institution.

(b) The institution has created an Endowment Fund of Rs. 5,00,000/- (Rupees Five lacs Only) and a Reserve Fund of Rs. 3,00,000/- (Rupees Six lacs Twenty Eight Thousand Only).

3. Now, therefore, in exercise of the powers vested under Section 14(3)(a) of the NCTE Act, 1993, the Regional Committee hereby grants recognition to Roop Rani Sukhnandan Singh College, Naubasta, Kanpur U.P. for an intake of 100 (One Hundred) seats in B.Ed. course of one year duration with effect from the academic session 2004-2005 subject to fulfillment of the following before the commencement of the session.

Contd.2

(a) Appointment of the faculty members duly qualified and staff as per the norms of NCTE/State Govt./ UGC is to be completed before the commencement of the session.

(b) The countersigned statement of all faculty members from the Registrar of the concerned University should be submitted before the commencement of the academic session 2004-2005.

(c) The institution shall adhere to all the other Regulations and Guidelines as framed by NCTE from time to time.

(d) The institution shall within ONE MONTH of the receipt of recognition order, convert the Endowment Fund account into a joint account in the form of FDR for a period of not less than SIXTY MONTHS (Five years) in a Nationalized Bank only (and not any other certificate) to be operated along with an official of the Regional Committee.

(e) That the Reserve Fund for an amount equal to three months salary of the teachers & staff be maintained in the form of FDR in favor of the management / institution, for a period of not less than SIXTY MONTHS (Five years) in a Nationalized Bank.

(f) Non-compliance of above conditions as mentioned vide this Order of Recognition shall invite action under Section 17(1) of NCTE Act, 1993.

4. The Recognition is subject to the condition that the affiliating University shall ensure that, among other things, the institution has appointed required number of faculty members (including Principal / Head of Department), as per the norms of the NCTE / UGC / Affiliating University.

5. Further, the recognition is subject to fulfillment of all such other requirements as may be prescribed by other regulatory bodies like UGC and State Government, etc.

6. The institution shall submit to the Regional Committee a Self-Appraisal Report at the end of each academic year along with a copy of the approval of the affiliating University / State Directorate of Education about the appointment of faculty members and the Statement of Annual Accounts duly audited by a Chartered Accountant.

7. If the institution contravenes any of the above conditions or any of the provisions of the NCTE Act, Rules, Regulations and/or order made or issued there under, the Regional Committee may withdraw the recognition under the provisions of Section 17(1) of the NCTE Act, 1993.

Contd.

प्रतिलिपि पत्र संख्या ई-ए-4713/[illegible] दिनांक 16-8-2004 द्वारा [illegible] [illegible] संयुक्त सचिव [illegible], लखनऊ, कुलसचिव, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर ।

आपके पत्र संख्या सी०एस०जे०एम०यू०/सम्ब०/564/2003 दिनांक 01.6.2004 के संदर्भ में मुझे आपको यह कहने का निर्देश हुआ है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय ने उ0प्र0राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा-37(2) के सुसंगत प्राविधानों तथा संशोधन अधिनियम 2003 की धारा-5 के अधीन [illegible] महाविद्यालय, नौबस्ता, कानपुर को बी०एड० पाठ्यक्रम में दो सौ सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ [illegible] निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 1.7.2004 से आगामी एक वर्ष हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान कर दी है-

1. महाविद्यालय सम्बद्धता प्राप्त होते ही निरीक्षण आख्या/प्रपत्र श्री में इंगित एवं प्रचलित मानकानुसार 5000 वर्गमीटर भूमि रजिस्ट्री कराने संबंधी समस्त कमियों को पूरा कर लेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा ।
2. संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों की पूर्ती तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी ।
3. संस्था उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 2 जुलाई 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी । विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त महाविद्यालय द्वारा शासनादेश एवं अन्य सुसंगत नियमों का पूर्णरूपेण परिपालन किया जा रहा है ।
4. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली में वर्णित तथा शासन द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्ति एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

सी०एस०जे०एम०यू०/सम्ब०/ 1157/2004 दिनांक 18-8-2004

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रबन्धक, [illegible] महाविद्यालय, नौबस्ता, कानपुर को इस आशय से प्रेषित है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय के उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें ।
2. उप कुलसचिव(बी०एड०प्रवेश परीक्षा) सी०एस०जे०एम०विश्वविद्यालय, कानपुर को इस आशय से प्रेषित है कि महाविद्यालय को बी०एड० पाठ्यक्रम में छात्र/छात्राओं के प्रवेश हेतु प्रक्रिया सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।
3. सहायक कुलसचिव(अतिगोपनीय) सी०एस०जे०एम०विश्वविद्यालय, कानपुर ।
4. सिस्टम मैनेजर, सी०एस०जे०एम०विश्वविद्यालय, कानपुर ।
5. इन्चार्ज, ई०डी०पी०सेन्टर, सी०एस०जे०एम०विश्वविद्यालय, कानपुर ।

(डा0वी0के0[illegible])
कुलसचिव

प्रतिलिपि पत्र संख्या-ई.स.1574/जी.एस. दिनांक 04.08.2003 द्वारा कुलाधिपति जी के विशेष सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, लखनऊ सम्बोधित कुलसचिव छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर ।

आपके पत्र संख्या-सी.एस.जे.एम.वि.वि./सम्ब./2557/03, दिनांक 23.6.2003 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा-37(2) के संबंध में उ0प्र0राज्य विश्वविद्यालय(संशोधन) अध्यादेश 2003 द्वारा, निर्दिष्ट परन्तुक के अधीन रूपरानी सुखनन्दन सिंह महाविद्यालय, नौबस्ता, कानपुर को स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, जन्तु विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान विषयों में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 1.7.2003 से आगामी तीन वर्ष हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है :-

1. संस्था द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय(संशोधन)अध्यादेश 2003 द्वारा मूल अधिनियम 1973 की धारा 37(2) में प्रावधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा ।
2. संस्थान/महाविद्यालय प्रपत्र 'बी' में अंकित कमियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय परिनियमावली के परिनियम संख्या-13.22 के अनुपालन में कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रति वर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है ।
3. संस्था उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2- 2003-16 (92)/2002 दिनांक 02 जुलाई 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी । विश्वविद्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त महाविद्यालय शासनादेश एवं अन्य सुसंगत नियमों का पूर्णरूपेण परिपालन किया जा रहा है ।
4. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली में वर्णित तथा शासन द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

सी.एस.जे.एम.वि.वि./सम्ब./2957/2003 दिनांक- 14.8.2003

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रबन्धक,प्रबन्ध समिति, रूपरानी सुखनन्दन सिंह महाविद्यालय, नौबस्ता, कानपुर को इस आशय से प्रेषित है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय के उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें । सत्र 2003-2004 से कक्षायें संचालन हेतु माननीय कुलपति जी ने स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के अंतर्गत बायोग्रुप हेतु 03 सेक्शन तथा गणित ग्रुप में 03 सेक्शन (60 छात्र प्रति सेक्शन)कुल 360 छात्र/छात्राओं के प्रवेश की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान करने की कृपा की है कि सात दिवस के अन्दर प्रवेश प्रकिया सम्पन्न कर ली जाए ।
2. सहायक कुलसचिव(परीक्षा) सी.एस.जे.एम.विश्वविद्यालय, कानपुर
3. सहायक कुलसचिव(अतिगोपनीय), सी.एस.जे.एम.विश्वविद्यालय, कानपुर ।
4. सिस्टम मैनेजर, कम्प्यूटर विभाग,सी.एस.जे.एम.विश्वविद्यालय, कानपुर ।
5. इंचार्ज, ई.डी.पी.सेन्टर, सी.एस.जे.एम.विश्वविद्यालय, कानपुर ।

(डा0बी0के0पाण्डेय)
कुलसचिव

कार्यालय, सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी,उ0प्र0,इलाहाबाद

आदेश सं0/सम्बद्धता/ 201 /2016–17 दिनांकः 30 जून, 2016

कार्यालय ज्ञाप

शासनादेश सं0 696/15–11–2016 शिक्षा अनुभाग–11 लखनऊ दिनांक 27.06.2016 द्वारा निजी संस्थान **रूपरानी सुखनन्दन सिंह कॉलेज, नौबस्ता, जनपद– कानपुर** को शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा दो वर्षीय बी0टी0सी0 पाठ्यक्रम के संचालन हेतु दी गयी मान्यता विषयक निर्गत आदेश में अंकित शर्तों तथा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन शैक्षिक सत्र 2015–16 से 50 (पचास) सीटों की सम्बद्धता प्रदान की जाती हैः–

(1) संस्थान द्वारा लगातार प्राभूत एवं सुरक्षित कोष को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय–समय पर संशोधित मानकों के अनुसार नवीनीकृत एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पक्ष में बन्धक रखना होगा।

(2) जिन मानकों एवं शर्तों के अधीन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता एवं राज्य सरकार द्वारा सम्बद्धीकरण दिया गया है उसमें राज्य सरकार की पूर्वानुमति के बिना संस्थान द्वारा कोई परिर्वतन नहीं किया जायेगा। संस्थान पर एन0सी0टी0ई0 तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर बनाए जाने वाले नियम लागू होंगे।

(3) नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार भवन की उपयुक्तता एवं अग्निशमन से सम्बन्धित उपायों को संस्थान द्वारा मानकों के अनुसार सदैव सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) प्रशिक्षणार्थियों हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गयी प्रवेश प्रक्रिया, आरक्षण के नियम, परीक्षा शुल्क, अन्य कोई भी चार्ज, परीक्षा की समय–सारिणी तथा पाठ्यक्रम संस्थान पर बाध्यकारी होगा।

(5) सम्बद्धता निर्गत होने के दो माह की अवधि में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानक के अनुसार विधिवत् चयनित संकाय सदस्यों का अनुमोदन सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0, इलाहाबाद से प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाना होगा। संकाय सदस्यों के बायोडाटा एवं अन्य समस्त प्रमाण पत्रों तथा अन्य सूचनाओं को अनुमोदन हेतु सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0, इलाहाबाद को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा। यह अभिलेख स्थायी होंगे, जिन्हें सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0, इलाहाबाद तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा स्थायी रूप से रखा जायेगा।

(6) संस्थान द्वारा अपनी बेबसाइट राज्य शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद की बेबसाइट के साथ हाइपरलिंक की जायेगी तथा अपेक्षित सूचनाओं का उल्लेख वेब–साइट पर किया जायेगा।

(7) प्रश्नगत संस्थान को राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 13.04.2016 के कार्यवृत्त में की गयी संस्तुति के आधार पर बी0टी0सी0 पाठ्यक्रम के संचालन हेतु शैक्षिक सत्र 2015–16 से 50 (पचास) सीटों की सम्बद्धता प्रदान की जा रही है।

उपरोक्त सम्बद्धता भूमि भवन आदि के सम्बन्ध में एन0सी0टी0ई0 के दिशा निर्देशों के अधीन होगी।

श्रीमती (नीना श्रीवास्तव)
सचिव
परीक्षा नियामक प्राधिकारी
उ0प्र0,इलाहाबाद।

पृ0सं0 /सम्बद्धता/ 4475-82 /2016–17 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. सचिव, बेसिक शिक्षा,उ0प्र0,शासन लखनऊ।
2. विशेष सचिव, उ0प्र0शासन, शिक्षा अनुभाग –11 लखनऊ।
3. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उ0प्र0,लखनऊ।
4. शिक्षा निदेशक, बेसिक, उ0प्र0,लखनऊ।
5. क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय समिति, चतुर्थ तल, जीवन निधि–II, एल0आई0सी0 बिल्डिंग, भवानी सिंह मार्ग, अम्बेडकर सर्किल, जयपुर–302005 (राजस्थान)।
6. प्राचार्य, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, कानपुर।
7. प्रबन्धक/सचिव **रूपरानी सुखनन्दन सिंह कॉलेज, नौबस्ता, जनपद– कानपुर** ।
8. गार्ड फाइल।

श्रीमती (नीना श्रीवास्तव)
सचिव
परीक्षा नियामक प्राधिकारी
उ0प्र0,इलाहाबाद।